(96) (203)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 3076-III/14

1- रामफल तनय रामप्यारे शाह
2- रामजी पिता रामप्यारे शाह
दोनो निवासी ग्राम-धूनी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

----आवेदकगण

बनाम्

चरकू पिता सुखराज शाह निवासी ग्राम-धूनी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक-2/निगरानी/13-14 में पारित आदेश दिनांक 15-07-14 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

क्रमांक 2762 ... आज ... 25-8-14

प्रकरण के तथ्य

यह कि आवेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सिंगरौली वृत्त ओर्मोलिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धूनी की आराजी खसरा कमांक-101/6 रकवा 2.032हे0 के भूमिस्वामी बंदोबस्त के पूर्व आवेदकगण के बाबा धावन शाह थे। बंदोबस्त के बाद उक्त भूमि नम्बर से निर्मित नवीन नम्बर 129 जुज रकवा 0.50हे0, 126 रकवा 0.23हे0 कुल रकवा 1.13हे0 बनाया गया।

(96)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–3076-III/14** जिला–सिंगरौली

रामफल शाह/चरकू शाह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरैली के प्रकरण क्रमांक 02/निग0/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	